WEB COPY NOT OFFICIAL

न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल।

पीठासीन अधिकारी : महेन्द्र कुमार टॉक,
आर.जे.एस.
(UID No. RJ 0865)

दस वर्ष से अधिक
अवधि पुराना प्रकरण।

निर्णय दिनांक : 05.05.2026
फौज. मूल प्र.सं. : 1230/2015
सी.आई.एस. नंबर : 1250/2016
सी.एन.आर. नंबर : RJJL060002442016
प्रथम सूचना रि. सं. : 390/2015
अन्तर्गत धारा : 279, 337, 338, 304ए भा.द.सं., 134/187 एमवी एक्ट पुलिस थाना भीनमाल।

अभियोगी :—

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी, भीनमाल।

—— **उपस्थित :—** अभियोजन अधिकारी।

ब ना म

अभियुक्त :— हुसैन खां पुत्र श्री कासम खान, उम्र 50 वर्ष, निवासी चुंगी नाका, भादरड़ा रोड़, भीनमाल, जिला जालोर।

—— **उपस्थित :—** श्री अशोक कुमार मोसलपुरिया, विद्वान अधिवक्ता।

—:: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ::—

अपराध की तिथि	12.10.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	12.10.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	16.12.2015
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	25.04.2016
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	24.11.2016
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	30.04.2026
निर्णय की तिथि	05.05.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	——

WEB COPY NOT OFFICIAL

–:: अभियुक्त का विवरण ::–

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा–428 द0प्र0सं0 के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
01.	हुसैन खां	––	16.12.15	279, 337, 338, 304ए भा.दं.सं. व 134/187 एमवी एक्ट	दोषमुक्त	––	––

–:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची ::–

क. अभियोजन

साक्षी का कम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01.	श्री हंसाराम	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 02.	डॉ. सोहनराज	चिकित्सीय साक्षी
पी.डब्ल्यू. 03.	डॉ. रमेश चौहान	चिकित्सीय साक्षी
पी.डब्ल्यू. 04.	श्री विरेंद्र कुमार	फर्द साक्षी
पी.डब्ल्यू. 05.	श्री तुलसाराम	फर्द साक्षी
पी.डब्ल्यू. 06.	श्री भागीरथ	घटना का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 07.	श्री भजनलाल	फरियादी
पी.डब्ल्यू. 08.	श्री आसुराम	घटना का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 09.	श्री अशोक आंजणा	दर्ज व नजीता पेशकर्ता साक्षी
पी.डब्ल्यू. 10.	श्री लसाराम	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्ल्यू. 11.	श्री पुखराज	फर्द साक्षी
पी.डब्ल्यू. 12.	श्री हंसाराम	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 13.	`डॉ. टी.सी. खींची	चिकित्सीय साक्षी
पी.डब्ल्यू. 14.	श्री ओमाराम	मैकेनिकल मुआयनाकर्ता

WEB COPY NOT OFFICIAL

पी.डब्ल्यू. 15.	श्री सूरजमल बिश्नोई	फर्द साक्षी
पी.डब्ल्यू. 16.	श्री अशोक	फर्द साक्षी
पी.डब्ल्यू. 17.	श्री मांगीलाल	घटना का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 18.	श्री महेन्द्र कुमार	फर्द साक्षी
पी.डब्ल्यू. 19.	श्री विकास मांजू	घटना का साक्षी

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
—	—	—

—:: <u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची</u> ::—

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श पी. संख्या
01.	लिखित रिपोर्ट	01.
02.	फर्द सुरतहाल लाश मृतक सुरेश कुमार	02.
03.	फर्द पंचनामा लाश मृतक सुरेश कुमार	03.
04.	फर्द सुपुर्दगीनामा लाश मृतक सुरेश कुमार	04.
05.	फर्द नक्शा मौका	05.
06.	फर्द जब्ती टैंकर सं. आरजे 19 1जी 4197	06.
07.	फर्द जब्ती पिकअप सं. आरजे 16 जीए 2987	07.
08.	133 एमवी एक्ट का नोटिस वाहन टैंकर मालिक	08.
09.	133 एमवी एक्ट का नोटिस पिकअप मालिक	09.
10.	एम.टी.ओ. रिपोर्ट वाहन पिकअप ट्रोला	10.
11.	एमटीओ रिपोर्ट वाहन टैंकर	11.
12.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक सुरेश कुमार	12.
13.	चोट प्रतिवेदन आहत श्री विकास	13.
14.	एक्स–रे प्लेट विकास	14. से 17.
15.	एक्स–रे रिपोर्ट विकास	18.

WEB COPY NOT OFFICIAL

16.	चोट प्रतिवेदन आहत श्री चुन्नीलाल	19.
17.	एक्स–रे प्लेट चुन्नीलाल	20.
18.	सीटी स्कैन फिल्म चुन्नीलाल	21.
19.	एक्स–रे रिपोर्ट चुन्नीलाल	22.
20.	सीटी स्कैन रिपोर्ट आहत श्री चुन्नीलाल	23.
21.	रवानगी रपट	24.
22.	आमद रपट	25.
23.	घटना स्थल व वाहन के फोटोस	26. से 30.
24.	पर्चा चाक एफ.आई.आर.	31.

ख. बचाव

क्रम संख्या	**दस्तावेजों की प्रकृति**	**प्रदर्श डी. संख्या**
——	——	——

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक : 05.05.2026

01. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि फरियादी भजनलाल द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना भीनमाल में इस आशय की दी कि मेरा भाई सुरेश व चालक मांगीलाल होटल पर खाना खाने रामसीन रोड पर जा रहे थे कि खजुरिया नाला पर बने पुल पर सामने से आ रहे तेल के टेकर नंबर आरजे 19 1जी 4197 के ड्राईवर ने टेकर को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए ट्रोले के टक्कर मारी जिससे ट्रोला घसीट कर पुल से नीचे जा गिरा ट्रोले में बैठे मेरे भाई सुरेश के सिर में तथा हाथ व छाती में चोट लगने से मौत हो गई। टेंकर चालक ने गलत साईड में जाकर टक्कर मारी है उक्त घटना ट्रोले के पिछे पिछे जा रहे मोटरसाईकिल सवार भागीरथ पुत्र गंगाराम विशनोई निवासी पांच कुआ व आसूराम पुत्र रुगनाथजी निवासी अरणाय ने देखी व मुझे फोन करके बताया टेंकर चालक टेंकर मौके पर छोड कर भाग गया । भागीरथ व आसूराम ने बताया की दो लडके

WEB COPY NOT OFFICIAL

सडक के किनारे जा रहे थे वे भी इसके चपेट में आ गये जिनके नाम विकास पुत्र लाधुराम एवं चूनाराम जाट है इन सभी को ये दोनो हॉस्पीटल लेकर आये थे। अतः रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि ट्रेकर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करावे।

02. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भीनमाल द्वारा अभियोग संख्या 390 दिनांक 12.10.2015 अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व 134/187 एमवी एक्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त उपस्थिति पर जमानत दी जाकर नियमानुसार नकलें दिलाई गई।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उपरोक्त धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व 134/187 एमवी एक्ट के आरोपों का आरोप मौखिक ही सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। दौरान अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करया गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्त के बयान तहत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। जिसमें उसने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठा फंसाये जाने के कथन किए हैं। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित करवाई गई।

04. बहस अंतिम विद्वान उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

WEB COPY NOT OFFICIAL

इसके विपरीत अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन अधिकारी के तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया वक्त दुर्घटना वाहन अभियुक्त हुसैन खां द्वारा चलाया जा रहा हों, इस सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं। गवाह आसुराम चक्षुदर्शी साक्षी हितबद्ध गवाह है। स्वयं वाहन स्वामी पक्षद्रोही रहा है। अभियुक्त की पहचान मौके पर किसी भी चश्मदीद गवाह द्वारा नहीं की गई। दुर्घटना अभियुक्त हुसैन खां द्वारा कारित की गई हों, संदेहास्पद हैं। गवाहों के कथनों में विरोधाभास है। इस प्रकार संपूर्ण अभियोजन मामला संदेहास्पद होने से अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जाये।

अवधार्य बिन्दु :–

05. बहस अंतिम विद्वान उभय पक्ष की सुनी गई। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु है :–

01. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 12.10.2015 को करीब 12:30 पीएम बजे सरहद भीनमाल के पास लोकमार्ग पर वाहन टेंकर आरजे 19 1जी 4197 को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानवजीवन को संकटापित कर पिकअप ट्रोला नंबर आरजे 16 जीए 2987 के टक्कर मारी जिससे विकास व चूनाराम के साधारण व सुरेश कुमार के गंभीर उपहतियां कारित होने से सुरेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई व उन्हें चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए बिना ही मौके से भाग गए ?

अवधार्य बिन्दु का विनिश्चिय :–

06. अभियोजन के विरूद्ध में व अभियुक्त के पक्ष में किया जाता हैं।

विनिश्चिय के कारण :–

07. अभियोजन पक्ष की ओर से जो सम्पूर्ण मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र अवलोकन से महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू. 07 भजनलाल है। जिसके द्वारा घटना की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि 9 साल पहले सुरेश व मांगीलाल पिकअप ट्रोला से रामसीन रोड़ पर खाना खाने जा रहे थे। सामने से एक टेंकर आरजे 19 1जे 4197 तेज गति व लापरवाही से चलाकर पिकअप ट्रोले से टक्कर मारी, पिकअप ट्रोला खजुरिया नाले में पुल के नीचे जा गिरा। जिससे सुरेश के चोट आने से मृत्यु हो गई। भागीरथ व आसुराम मोटरसाईकिल पर जा रहे थे, जिन्होंने घटना देखी व उसे सूचना दी। टैंकर चालक मौके से भाग गया। बाद में पता चला कि टैंकर चालक हुसैन खांन पुत्र कासम खान निवासी भीनमाल था। गवाह द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01 दिए जाने, फर्द सुरतहाल लाश प्रदर्श पी. 02 होने, पंचनामालाश प्रदर्श पी. 03 होने, सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी. .04 होने व नक्शा मौका प्रदर्श पी. 05 होकर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया गया। अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि मैंने घटना होते हुए नहीं देखी। अजखुद कहा कि मुझे घटना की सूचना आसुराम ने दी थी।

08. अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 08 आसूराम है। जिसके द्वारा घटना की ताईद करते हुए पिकअप ट्रोल के पीछे स्वयं व भागीरथ के आने, घटना देखे जाने, भजनलाल को सूचना दिए जाने, टैंकर चालक हुसैन खांन पुत्र कासम खान था।

अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि मैं पिकअप ट्रोला के पीछे–पीछे मोटरसाईकिल पर जा रहा था। पिकअप ट्रोला व मेरे मोटरसाईकिल के बीच 100 फीट की दुरी थी। स्वयं के आगे–आगे पिकअप ट्रोला धीरे–धीरे चल रहा था, किस स्पीड से चल रहा था मुझे पता नहीं। यह कहना गलत है कि मैंने टैंकर ड्राईवर को नहीं देखा व नहीं पहचाना। अजखुद कहा टैंकर ड्राईवर हुसैन खां था।

09. अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 06 भागीरथ है। गवाह द्वारा घ टना की ताईद करते हुए पैदल चल रहे विकास व चुन्नीलाल के टैंकर चालक द्वारा

WEB COPY NOT OFFICIAL

टक्कर मारने व चुन्नीलाल बेहोश होन व विकास घायल होने व टैंकर चालक हुसैन खां होने का कथन किया गया। अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि वक्त घटना रोड़ पर अंधेरा था। यह सही है कि पिकअप ट्रोला रोड पर कितनी गति से चल रही था मुझे पता नहीं। सामने से आ रहा वाहन कितनी स्पीड से आ रहा था मैं नहीं कह सकता। यह सही है कि मैं मुलजिम को नहीं जानता हूं।

10. अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 17 मांगीलाल है। जो वक्त दुर्घटना वाहन पीकअप का चालक था। गवाह द्वारा घटना की ताईद करते हुए मुख्य परीक्षा में कथन किया कि टैंकर का चालक कौन था, यह पहले पता नहीं चला बाद में चला कि उक्त टैंकर आरजे 19 1जी 4197 का चालक हुसैन खान ने सामने से तेज गति व गलत दिशा में आकर पिकअप ट्रोला के टक्कर मारी। अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि टैंकर कौन चला रहा था, मैंने चलाते हुए नहीं देखा। मैं ट्रोला लेकर लगभग 40—45 की स्पीड से चल रहा था। यह सही है कि वक्त घटना रोड़ पर अंधेरा था। यह सही है कि परिवादी भजनलाल मेरा संबंधी है। यह सही है कि मुलजिम को नहीं जानता हूं।

11. अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 19 विकास मांजू है। जो हस्तगत दुर्घटना में आहत है। जिसके द्वारा घटना की ताईद करते हुए एक्सीडेंट में स्वयं के चपेट में आने से स्वयं व चुन्नीलाल के चोट आने का कथन किया। अभियुक्त पक्ष की जिरह में कथन किया कि मेरे टैंकर सामने से आया था। हमारे पास टैंकर 30—40 पावंडा आगे से आया था। टक्कर किस वाहन की लापरवाही से लगी थी, मैं बता सकता हूं। टैंकर की लापरवाही से टक्कर लगी थी। टैंकर चालक को मैंने चलाते हुए नहीं देखा। अजखुद कहा कि ड्राईवर कौन था मैं नहीं बता सकता। मैं चालक को नहीं जानता हूं। यह मैं नहीं बता सकता कि टैंकर किस रंग का था समय ज्यादा हो गया है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

12. अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 02 डॉ सोहनराज है। जिसके द्वारा मृतक सुरेश कुमार का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट प्रदर्श पी. 12 दिए जाने का कथन किया गया। वहीं गवाह पी.डब्ल्यू. 03 डॉ. रमेश चौहान हैं। जिसके द्वारा आहत विकास व चुन्नीलाल के शरीर पर आई चोटों के संबंध में एक्स–रे कर प्लेट प्रदर्श पी 14 से 17 व 20 तैयार किए जाने का कथन किया गया। वहीं गवाह पी.डब्ल्यू. 13 डॉ. टी.सी. खींची है। जिसके द्वारा चुन्नीलाल के सीटी स्कैन प्लेट प्रदर्श पी. 21 होने व रिपोर्ट प्रदर्श पी. 23 होने व उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया गया।

13. अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह पीडब्ल्यू 10 लसाराम है। जो वाहन टैंकर का पंजीकृत स्वामी है। गवाह द्वारा धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिए जाने, स्वयं के नाम के हस्ताक्षर किए हुए होने का कथन किया गया। गवाह द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किए जाने से गवाह को अभियोजन पक्ष की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन सुझाव में गवाह द्वारा कथन किया कि जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन मेरा टैंकर हुसैन खां चला रहा था, उसी ने टक्कर मारी थी। गवाह द्वारा अभियोजन सुझाव में स्वयं के हस्ताक्षर होने से इंकार किया गया।

14. अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 14 ओमाराम है। जिसके द्वारा वाहन पिकअप ट्रोल व ट्रक टैंकर का मैकेनिकल मुआयना कर रिपोर्ट प्रदर्श पी. 10 व पी. 11 तैयार किए जाने व उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया गया। अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन को मैंने चलाकर देखा था। ट्रक का मैकेनिकल मुआयना करते समय मेरे अतिरिक्त कोई मौके पर नहीं था। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 18 महेन्द्र कुमार है। जो वाहन पिकअप ट्रोला व टैंकर के फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 06 व 07 का गवाह है। जिस पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया। अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि फर्द जब्ती मौके पर ही बनाई गई थी। वाहन जब्ती प्रदर्श पी. 06 व 07 की जब्ती मौके पर की थी।

WEB COPY NOT OFFICIAL

00. अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 04 विरेन्द्र कुमार व पी.डब्ल्यू. 05 तुलसाराम हैं। उक्त दोनों ही गवाह फर्द सुरतहाल लाश प्रदर्श पी. 02, फर्द पंचनामालाश प्रदर्श पी. 03, फर्द सुपुर्दगीलाश प्रदर्श पी. 04 व नक्शा मौका प्रदर्श पी. 05 का गवाह होकर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया गया। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 11 पुखराज, पी.डब्ल्यू. 15 सुरजमल व पी.डब्ल्यू. 16 अशोक उक्त तीनों गवाह फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी. 03 के गवाह है। उक्त सभी गवाह हस्तगत प्रकरण में औपचारिक प्रकृति के गवाह हैं। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 09 अशोज आंजणा है। जिसके द्वारा भजनलाल की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किए जाने व अनुसंधान हंसाराम हैड कानि के हवाले किए जाने व बाद अनुसंधान अभियुक्त हुसैन खां के विरुद्ध आरोप प्रमाणित मान आरोप–पत्र प्रस्तुत किए जाने का कथन किया गया।

15. अभियोजन पक्ष का अंतिम गवाह पी.डब्ल्यू. 12 हंसाराम है। जिसके द्वारा सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचने, अस्पताल में भजनलाल द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01 प्रस्तुत किए जाने, प्रकरण दर्ज होने पर अनुसंधान उसके जिम्मे किए जाने, नक्शा मौका प्रदर्श पी. 05 रूबरू मौतबीरान तैयार किए जाने, फर्द सुरत हाल लाश प्रदर्श पी. 02 होने, फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी. 03 होने, फर्द सुपुर्दगीलाश प्रदर्श पी. 04 होने, वाहनों को जरिए प्रदर्श पी. 06 व 07 के जब्त किए जाने, वाहन टैंकर व पिकअप ट्रोला के स्वामी को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किए जाने, वाहनों का मैकेनिकल मुआयना करा रिपोर्ट प्रदर्श पी. 10 व 11 तैयार किए जाने, सुरेश कुमार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 12 होने, विकास व चुन्नीलाल का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 13 व 19 प्राप्त किए जाने, सीटी स्कैन रिपोर्ट तैयार किए जाने व रोजनामचा आमद व रवानगी रपट शामिल पत्रावली किए जाने, गवाहों के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए जाने, फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी. 26 से लगायत 30 होने, एक्स–रे प्लेट पी. 15 से 17 व 20 होने व बाद अनुसंधान हुसैन खां के विरुद्ध आरोपित धाराओं में आरोप प्रमाणित मान पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द किए जाने का कथन किया गया।

WEB COPY NOT OFFICIAL

अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि दुर्घटनास्थल पर खड़े वाहनों की जब्ती पुलिस थाने में की थी। दुर्घटनास्थल पर खड़े वाहन ट्रोला कैंपर दाहिने भाग में टक्कर लगी हुई थी। मैं मुलजिम को नहीं जानता हूं। अजखुद कहा एक्सीडेंट हुआ उस समय नहीं जानता था बाद में मुलजिम का पता लगा था। यह सही है कि मैं फरियादी को जानता हूं। अजखुद कहा रिपोर्ट देने के बाद से जानता हूं। यह सही है कि टैंकर व पिकअप किस गति से चल सकते हैं उसका मैं आकलन नहीं कर सकता।

16. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो सम्पूर्ण मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई, उसके समग्र अवलोकन से प्रकरण में वाहन पिकअप ट्रोला आरजे 16 जीए 2987 व टैंकर आरजे 19 1जी 4197 के मध्य दुर्घटना कारित होना उक्त वाहनों की मौके से फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 06 व 07 तथा वाहनों का मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 10 व 11 में वर्णित टूट भाग से व अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ्स से वाहनों के मध्य दुर्घटना कारित होना दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है।

17. जहां तक हस्तगत प्रकरण में की दुर्घटना अभियुक्त हुसैन खां द्वारा वाहन टेंकर संख्या आरजे 19 1जी 4197 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर प्रकरण में की दुर्घटना कारित किए जाने का प्रश्न हैं ? घटना की रिपोर्ट अनुसार वक्त दुर्घटना भागीरथराम व आसुराम द्वारा देखे जाने व भजनलाल को सूचित किए जाने व विकास के दुर्घटना के फलस्वरूप चोट आने का अभियोजन पक्ष का मामला है। उक्त तीनों ही महत्वपूर्ण गवाह भागीरथ, आसुराम व आहत विकास द्वारा टैंकर चालक कौन हो इसका पता नहीं होने व बाद में हुसैन खां होना पता चलने का कथन किया गया। इसके साथ ही लिखित रिपोर्ट घटना के दूसरे रोज ही प्रस्तुत की गई। घटना के रोज मौके पर जाने की रोजनामचा रवानगी व आमद रपट प्रदर्श पी. 24 व 25 होने जिसमें दिनांक 11.10.2015 को दुर्घटना होने की सूचना मिलने व मौके पर जाने व लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी. 12.10.2015 को 8 ए.एम. पर दिए जाना साबित

WEB COPY NOT OFFICIAL

है। उक्त रिपोर्ट में भी भागीरथ व आसुराम द्वारा घटना देखे जाने का कथन किया गया, किन्तु टेंकर चालक टैंकर मौके पर छोड़ भाग जाने का उल्लेख किया गया। इसके साथ ही वाहन स्वामी लसाराम द्वारा वाहन हुसैन खां चलाने का कथन किया गया, किन्तु, यह स्वीकृत स्थिति हैं कि वक्त दुर्घटना वाहन में वाहन स्वामी साथ में नहीं था। ऐसी दशा में मात्र वाहन स्वामी के कथनों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वक्त दुर्घटना वाहन टैंकर अभियुक्त हुसैन खां ही चला रहा हो, उस दशा में जबकि दुर्घटना की रिपोर्ट देरीना प्रस्तुत की गई और मौके पर चालक के भाग जाने का उल्लेख अभियोजन के महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा किया गया हो तथा प्रकरण में वाहन चालक हुसैन खां के सम्बन्ध में कोई पहचान परेड़ ही दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं करवाई गई हो। ऐसी दशा में वक्त दुर्घटना वाहन टैंकर संख्या आरजे 19 1जी 4197 चलाया जा रहा हो यह संदेहास्पद है।

18. अभियोजन पक्ष अभियुक्त हुसैन खां द्वारा वाहन टैंकर संख्या आरजे 19 1जी 4197 को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर प्रकरण में की दुर्घटना कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा हैं। न्यायालय के विनम्र मत में वाहन अभियुक्त द्वारा चलाया जाना ही संदेहास्पद हो जाने से अभियुक्त हुसैन खां द्वारा चिकित्सीय सहायता उपलब्ध नहीं कराया जाना भी संदेहास्पद हो जाता हैं। ऐसी दशा में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसरण में अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्तगण के विरुद्ध साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त हुसैन खां को आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—: आदेश :—

19. परिणामस्वरूप अभियुक्त हुसैन खां पुत्र श्री कासम खान, उम्र 50 वर्ष, निवासी चुंगी नाका, भादरड़ा रोड़, भीनमाल, जिला जालोर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 134/187 एम.वी.

WEB COPY NOT OFFICIAL

एक्ट में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। इसके साथ ही धारा 437 ए के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पांच हजार रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टेकर नंबर आरजे 19 1जी 4197 व पिकअप सं. आरजे 16 जीए 2987 को पूर्व में सुपुर्दगीदार को सुपुर्द किए जा चुके है, जो वाहन सुपुर्दगीदार के पास ही रहेंगे एवं संबंधित सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा अपील की समयावधि समाप्त होने के पश्चात् स्वतः निरस्त समझे जावे अथवा अपील होने के स्थिति में अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे। प्रकरण मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित होने से हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के प्रावधान आकृष्ट नहीं होने से किसी पीड़ित को प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती हैं।

(महेन्द्र कुमार टॉक)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)।

20. निर्णय आज दिनांक 05 मई, 2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(महेन्द्र कुमार टॉक)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)।